


सूचना

कोल हाइवा लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्व्यापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री जितेंद्र कुमार पिता दशरथ साह, निवासी ग्राम: पचरा, थाना: केरेदारी, ज़िला: हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49 (रेयती) खाता सं. 06, 15, 23, 14, 28, 12 & 08 के अधीन प्लॉट सं: 203, 226, 375, 394, 396, 397, 602, 659, 402, 310, 137, 139, 304, 304, 430 & 45, कुल रक्कड़ -2.00 एकड़ भूमि के अधिवाहन के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अब उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ ऐक्साइट <http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/notifemplInd.php> पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे भाषाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉय्डी के समक्ष उठा सकते हैं।

अब उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: पचरा, थाना: केरेदारी, ज़िला: हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात थाना सं: 49 (रेयती) खाता सं. 06, 15, 23, 14, 28, 12 & 08 के अधीन प्लॉट सं: 203, 226, 375, 394, 396, 397, 602, 659, 402, 310, 137, 139, 304, 304, 430 & 45, कुल रक्कड़ -2.00 भूमि के तहत श्री जितेंद्र कुमार पिता दशरथ साह, निवासी ग्राम: पचरा, थाना: केरेदारी, ज़िला: हजारीबाग (झारखण्ड) (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।



G. K. Jitendra Kumar
08/09/2017